न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 298/2022 /225 आरटीएक्ट

1. सुखी देवी पत्नी मनीराम
2. विमला देवी पत्नी ओमप्रकाश
3. महेन्द्र पुत्र औमप्रकाश
4. राजेन्द्र पुत्र औमप्रकाश

} जाति जाट निवासी श्योदानपुरा, टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट/अप्रार्थीगण

बनाम

1. बृजलाल पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ –फौत

2/1 सोना पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

2/2 भजनलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

– रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 24.06.2022 व संशोधित आदेश 05.07.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,
प्रकरण सं. 30/2016, अनवान बृजलाल बनाम सुखी देवी आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1/1 व 1/2

निर्णय दिनांक 17.01.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया प्रार्थना–पत्र में अपनी भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2022 संशोधित आदेश दिनांक 05.07.2022 से चक 1 ए बारानी प. नं. 261/371 के किला नं. 11 में दक्षिणी पश्चिमी कौने में 8.25 फुट चौड़ा तथा 20 फुट लम्बा, किला नं. 20 में 8.25 फुट चौड़ा तथा 165 फुट लम्बा तथा किला नं. 21 में 8.25 फुट चोड़ा तथा 156.75 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाए जाने के आदेश दिये गये उक्त रास्ते में आई भूमि हेतु स्वीकृत रास्ते की एवज में अप्रार्थी सं0 1 ता 4 को डी.एल.सी. की दुगुनी दर से प्रतिकर दिये जाने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स ने दिनांक 03.01.2023 को अदालत में हाजिर आकर राजीनामा पेश किया किया एवं राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण करने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता को राजीनामा पर सुना गया। बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

3. विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट्स व रेस्पोडेन्टस ने दौराने बहस राजीनामा मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा अपील के निस्तारण किये जाने का कथन किया।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र पेश किया प्रार्थना-पत्र में अपनी भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2022 संशोधित आदेश दिनांक 05.07.2022 से चक 1 ए बारानी प. नं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

261/371 के किला नं. 11 में दक्षिणी पश्चिमी कौने में 8.25 फुट चौड़ा तथा 20 फुट लम्बा, किला नं. 20 में 8.25 फुट चौड़ा तथा 165 फुट लम्बा तथा किला नं. 21 में 8.25 फुट चोड़ा तथा 156.75 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाए जाने के आदेश दिये गये उक्त रास्ते में आई भूमि हेतु स्वीकृत रास्ते की एवज में अप्रार्थी सं0 1 ता 4 को डी.एल.सी. की दुगुनी दर से प्रतिकर दिये जाने के आदेश दिये। राजीनामा अनुसार उभयपक्ष अपीलाण्ट्स की भूमि में से स्वीकृत किये गये रास्ते को यथावत रखने हेतु सहमत हैं। परन्तु स्वीकृतशदुा रास्ते की एवज में अप्रार्थीगण 1 ता 4 अपीलाण्ट प्रथम पक्ष को जो डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर दिये जाने के आदेश ादिये हैं उनसे दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं। द्वितीय पक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 ता 1/2 रास्ते में आई भूमि के बदले में चक 1 ए बारानी के प. नं. 261/371 मु. नं. 97 के किला नं. 10 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम 17 फुट व 165 फुट लम्बी भूमि प्रथम पक्ष अपीलाण्ट्स को देगा उक्त भूमि अपीलाण्ट प्रथम पक्ष के नाम दर्ज की जाकर रेस्पोडेण्ट द्वितीय पक्ष की भूमि कम की जाने पर सहमत है एवं द्वितीय पक्ष रेस्पोडेण्ट द्वारा जो डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर तहसील रास्व टिब्बी में जमा करवाये है वह राशि द्वितीय पक्ष रेस्पोडेण्ट को लौटाई जाने पर उभयपक्ष सहमत हैं।

6. अतः मुतातबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 संशोधित आदेश दिनांक 05.07.2022 से चक 1 'ए' बारानी प. नं. 261/371 के किला नं. 11 में दक्षिणी पश्चिमी कौने में 8.25 फुट चौड़ा तथा 20 फुट लम्बा, किला नं. 20 में 8.25 फुट चौड़ा तथा 165 फुट लम्बा तथा किला नं. 21 में 8.25 फुट चोड़ा तथा 156.75 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करवाए जाने के आदेश तक यथावत रखा जाता है तथा स्वीकृतशदुा रास्ते की एवज में अप्रार्थीगण 1 ता 4 अपीलाण्ट प्रथम पक्ष को जो डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर दिये जाने के आदेश को निरस्त किया जाता है। रास्ते में आई भूमि के बदले में द्वितीय पक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 ता 1/2 की चक 1 ए बारानी के प. नं. 261/371 मु. नं. 97 के किला नं. 10 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम 17 फुट व 165 फुट लम्बी भूमि प्रथम पक्ष अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेस्पोडेण्ट द्वितीय पक्ष की उक्त भूमि कम की जावे। रेस्पोडेण्ट द्वारा जो डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर तहसील राजस्व टिब्बी में जमा करवाये हैं वह राशि द्वितीय पक्ष रेस्पोडेण्ट को लौटाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 17.1.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

17.1.23

(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़